

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वसितार

प्रलिस के ललल:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनललल, 2013, अंत्योदय अन्न योजना, लक्षतल सार्वजनकल वतलरण प्रणाली, ई-रुपी ।

मेन्स के ललल:

सरकारी नीतलतल के डलललन और कार्यानवलन से उत्पन्न मुददे, NFSA के तहत लाभार्थी ।

[सुरोत: इंडलन एकसप्रेस](#)

चरुा में करुु?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अतरकलत पाँच वरुु के ललल [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#) के वसितार की ऒषणा की है ।

PMGKAY करुा है?

- PMGKAY को सर्वप्रथम वरु 2020 में [कोवडल-19 महामारी](#) के दुरान पेश करुा गया था और इसे [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनलल, 2013 \(NFSA\)](#) के तहत पात्र राशन कारु धारकु को प्रतलव्यकुतल प्रतलमाह 5 कललगुराम मुफुत खाद्यान्न प्रदान करने के ललल डलललन करुा गया था ।
- प्रारंभ में यह योजना दसलंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, फरल इसे दसलंबर 2023 तक बढा दलल गया था और अब इसे अतरकलत पाँच वरुु के ललल आगे बढा दलल गया है ।
- इस योजना के आरंभ होने के बाद से सरकार ने 3.9 लाख करोड रुपए की लागत से अपने केंदुरीय खरीद पुल से 1,118 लाख मीटरकल टन खाद्यान्न आवंतल करुा है ।

राष्टुरीय खाद्य सुरक्षा अधनलल, 2013:

- परचलल:
 - राष्टुरीय खाद्य सुरक्षा अधनलल, (NFSA) 2013 खाद्य सुरक्षा की पहुँच के ललल कल्याण से अधकलर आधारतल दृष्टकलण में एक आदर्श बदलाव का प्रतलक है ।
- लाभार्थी:
 - यह अधनलल कानूनी तुर पर ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षतल सार्वजनकल वतलरण प्रणाली के तहत सबसडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधकलर देता है ।
 - इस प्रकार इस अधनलल के अंतर्गत अत्यधकल सबसडी/सहायकल वाले खाद्यान्न के आबंतन के लललगभग दो तलहाई आबादी को कवर करुा जायेगा ।
 - इसमें राशन कारु धारकु की दो शुरेणलतल शामिल हैं: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्रारथमकलता वाले परवलर (PHH) ।
 - महलला सशकतलकरण की दशल में एक कदम के रूप में, इस अधनलल के तहत राशन कारु जारी करने के उददेश्य से घर की 8 वरु अथवा उससे अधकल उमर की महलला को परवलर का मुखलला होना अनवलरुय है ।
- प्रावधान:
 - इस कार्यक्रम के तहत AAY के लाभार्थी परवलरु को प्रतुत्येक माह 35 कललगुराम खाद्यान्न दलल जाने का प्रावधान है, चाहे परवलर के सदस्यु की संख्या कुु भी हो ।
 - प्राथमकलता वाले परवलरु को परवलर के सदस्यु की संख्या के आधार पर खाद्यान्न मललता है, जसलमें प्रतुत्येक सदस्य को प्रतलमाह 5 कललगुराम खाद्यान्न मललता है ।
- PMGKAY एवं NFSA का एकलकरण:

- जनवरी 2023 में PMGKAY को NFSA के साथ एकीकृत किया गया , जिसके परिणामस्वरूप AAY एवं PHH परिवारों के लिये सभी राशन नशुलक उपलब्ध कराए गए ।
- इस एकीकरण ने PMGKAY के नशुलक राशन कारक को NFSA में शामिल करकोवडि-19 महामारी के दौरान पेश किये गए अतिरिक्त प्रावधानों को समाप्त कर दिया ।

PMGKAY के वसितार के क्या प्रभाव होंगे?

■ सकारात्मक प्रभाव:

- तत्काल खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करना: यह वसितार नमिन-आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करता है, आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक नरंतर पहुँच सुनिश्चित करता है, और तत्काल खाद्य सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है ।
 - यह वसितार आर्थिक संकट अथवा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, अपरत्याशति कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को त्वरति सहायता प्रदान करता है एवं आपात स्थिति के दौरान बुनियादी जीविका की गारंटी देता है ।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: योजना के लिये खाद्यान्न की खरीद स्थानीय किसानों व कृषि समुदायों को सहायता प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान मलित है ।
- सामाजिक सामंजस्य: यह कार्यक्रम सामुदायिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है, जहाँ सरकार की पहल यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा न रहे, यह वसितार सामाजिक एकजुटता एवं ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है ।

■ नकारात्मक प्रभाव:

- दीर्घकालिक राजकोषीय एवं आर्थिक चिंताएँ कार्यक्रम के वसितार के साथ अत्यधिक वित्तीय व्यय का कारण हो सकती हैं ।
 - समय के साथ खरीद व्यय बढ़ने से लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे सरकार के बजट पर बोझ पड़ सकता है ।
 - यदि योजना के वसितार के साथ-साथ राजस्व वृद्धि में भी कमी हो रही है तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है ।
- बाज़ार की गतिशीलता में विकृति: नशुलक मलिते वाले अथवा अत्यधिक छूट प्राप्त करने वाले खाद्यान्न वितरण से वसितारति कार्यक्रम बाज़ार की गतिशीलता को परिवर्तित कर सकता है, साथ ही यह कृषि उद्योग को भी प्रभावित कर सकता है तथा मूल्य विकृतियों का कारण भी बन सकता है ।
- नरिभरता तथा स्थिरता के मुद्दे: मुफ्त खाद्यान्न वितरण जारी रखने से लाभार्थियों में इस खाद्यान्न पर नरिभरता में वृद्धि हो सकती है, जिससे आत्मनरिभरता अथवा वैकल्पिक आजीविका प्रयासों की इच्छा कम हो सकती है ।
 - गरीबी एवं भुखमरी को दूर करने के लिये सरकारी सहायता पर नरिभर रहना कोई स्थायी, दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता है ।
- प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद तथा नीतगित स्थिरता: इस वसितार से राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धी लोकलुभावन उपाय हो सकते हैं, जो अस्थिर नीतियों को लागू कर सकते हैं और साथ ही सार्वजनिक वित्त पर भी दबाव डाल सकते हैं ।

आगे की राह:

■ अल्पावधि के उपाय:

- खाद्यान्न पहुँच के लिये डिजिटल वाउचर का उपयोग: ई-रुपी का उपयोग विशेष रूप से आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद के लिये डिजिटल वाउचर के रूप में किया जाता है ।
 - सरकार लक्षित लाभार्थियों को ई-रुपी वाउचर आवंटित कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कश्चिन का उपयोग केवल पौष्टिक खाद्यान्न खरीदने के लिये किया जाएगा ।
- क्राउडसोर्सड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क: प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म या ऐसे ऐप विकसित करना जो घरों, रेस्तरां तथा सुपरमार्केट से ज़रूरतमंद लोगों तक अतिरिक्त या बरबाद होने वाले भोजन के वितरण की सुविधा प्रदान कर सकें ।
 - इसमें अतिरिक्त भोजन की पहचान करने तथा इसे ज़रूरतमंद लोगों तक कुशलतापूर्वक वितरित करने में सामुदायिक भागीदारी शामिल होगी ।

■ दीर्घकालिक उपाय:

- आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम: परपेचुअल हैडआउट्स के बजाय उन कार्यक्रमों में नविश करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं ।
 - इसमें लोगों को आत्मनरिभर बनने में मदद करने के लिये कौशल विकास, नौकरी प्रशिक्षण एवं उद्यमशीलता के अवसर शामिल हो सकते हैं ।
- सबसिडी में धीरे-धीरे कमी: नशुलक राशन कार्यक्रम को अचानक बंद करने के बजाय, धीरे-धीरे सबसिडी में कमी करके इसे समाप्त करें तथा साथ ही अन्य सहायता प्रणालियों को लागू करें । इससे अभावग्रस्त जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को अचानक लगने वाले झटके से बचने में मदद मलित सकती है ।
- नशुलक राशन कार्यक्रम को अन्य सहायता प्रणालियों के कार्यान्वयन के साथ धीरे-धीरे बंद किया जाना चाहिये, न कि अचानक रोक देना चाहिये । इससे सुभेद्य आबादी एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यंत्रित करने में मदद मलित सकती है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि:

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं ।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे अधिक उमर वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखयिा होगी ।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं ।

उपरयुतत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतस्थिापन भारत में सहायकियिों के परदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजयि । (2015)

प्रश्न.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुखय वशिषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में कसि प्रकार सहायता की है? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/extension-of-pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-1>

